

तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) नियम, 1984

सा.का.नि. 620(अ) - केन्द्रीय सरकार तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (19 का 4) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :
(क)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) नियम 1984 है।
*(ख)	ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2	परिभाषाएँ :
	इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :
(क)	“ अधिनियम “ से तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1945 (1975 का 4) अभिप्रेत है।
(ख)	“ क्रेता “ से ऐसा व्यवहारी निर्यातकर्ता पैकर जिसने इस अधिनियम की धारा 12 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सुसंगत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, और जो बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किसी अधिारी द्वारा नीलामी मंच पर तम्बाकू का क्रय कने के लिए प्राधिकृत है, अभिप्रेत है ।
(ग)	“उगाने वाला“ से ऐसा व्यक्ति, जिसने # वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए अधिनियम की धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, अभिप्रेत है।
(घ)	“मंच“ से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (गग) के अधीन तम्बाकू के विक्रय के लिए स्थापित नीलामी मंच अभिप्रेत है।
(ड.)	“तम्बाकू“ से # वर्जीनिया तम्बाकू अभिप्रेत है।
(च)	सभी अन्य पदों और अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में दिए गए हैं।

- भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड 3(i) में दि.22/08/1984 को प्रकाशित किया गया।
- # नियम 2 की धारा (ग) तथा (ड.) के “धुआं संसाधित वर्जीनिया तम्बाकू” शब्दों को वर्जीनिया तम्बाकू के रूप में संशोधित किय गये हैं । तम्बाकू बोर्ड(नीलामी) संशोधन नियम, 1988, दि. 16/05/1988, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3(i) में प्रकाशित ।

3		उगाने वालों द्वारा विनिर्दिष्ट मंचों पर तम्बाकू की परिदान किया जाना:- ज्यों ही किसी स्थान में किसी मंच की स्थापना हो जाती है त्यों ही बोर्ड या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में और ऐसी अन्य रीति से जो आवश्यक समझी जाए, एक सूचना प्रकाशित करवाए जिसमें किसी स्थानीय क्षेत्र के उगाने वाले से अपना तम्बाकू विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट मंच पर परिदत्त करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे उगाने वाले अपनी तम्बाकू का परिदान केवल ऐसे विनिर्दिष्ट मंचों पर करेंगे।
4		उगाने वालों द्वारा प्रस्तु की जाने वाली विवरणियाँ :- रजिस्ट्रीकृत उगाने वाले को कोई मंच आबंटित करने के प्रयोजन से और मंच पर नीलामियों के समुचित संचालन का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड उगाने वाले से ऐसी विवरणियाँ जैसी उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
5		क्रेताओं को प्राधिकृत किया जाना:- कोई क्रेता मंच पर तम्बाकू का क्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने बोर्ड से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित रूप में प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो।
6		उगाने वालों द्वारा कदाचार:- कोई उगाने वाला निम्नलिखित कृत्यों में से किसी को करने पर, कदाचार का दोषी होगा:
	(i)	बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।
	(ii)	उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।
	(iii)	ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंघ्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।
	(iv)	ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।
	(v)	मंच पर कार्यवाहियों में बाधा पहुँचाना।

7	<p>उगाने वाला द्वारा कदाचार करने के लिए शास्तियाँ और शास्तियाँ को अधिरोपित करने की प्रक्रिया :</p> <p>अध्यक्ष या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उगाने वाले को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और उन कारणों से जिन्हें लेखाबद्ध किया जाएगा उगाने वाले को कदाचार का दोषी पाए गए निम्नलिखित शास्तियों में से किसी एक या दोनों को अधिरोपित कर सकेगा।</p>
	<p>(i) उगाने वाले द्वारा परिदत्त की गई किसी तम्बाकू को विक्रय के लिए प्राप्त करने या प्रस्तुत करने से इनकार करना ।</p>
	<p>(ii) उगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना । परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की शास्ति केवल अध्यक्ष द्वारा अधिरोपित की जाएगी।</p>
8	<p>क्रेता द्वारा कदाचार: कोई क्रेता निम्नलिखित कृत्य में से किसी को करने पर कदाचार का दोषी होगा:</p>
	<p>(i) बोर्ड द्वारा या बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा जो मंच का भारसाधक हैं, विनिर्दिष्ट समय पर उसके द्वारा क्रय किए गए तम्बाकू का परिदान लेने में असफल रहना या उसे अस्वीकार करना।</p>
	<p>(ii) उसके द्वारा क्रय की गई तम्बाकू के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय पर और रीति में भुगतान करने में असफल रहना या अस्वीकार करना।</p>
	<p>(iii) मंच की कार्यवाहियों में बाधा पहुँचाना।</p>
	<p>(iv) ऐसी विवरणियों का जिनका इन नियमों या बोर्ड द्वारा बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उपबन्ध किया जाए क्रेता द्वारा प्रस्तुत करने में असफल रहना या अस्वीकार करना।</p>
9	<p>क्रेताओं द्वारा कदाचार करने के लिए शास्तियाँ और शास्तियाँ अधिरोपित करने की प्रक्रिया:</p> <p>अध्यक्ष या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी क्रेता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और उन कारणों से जिन्हें लेखाबद्ध किया जाएगा क्रेता को कदाचार का दोषी पाए जाने पर निम्नलिखित शास्तियों में से किसी एक या दोनों को अधिरोपित कर सकेगा।</p>

		(i)	मंच पर उसे उपस्थित होने और क्रय करने के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार करना।
		(ii)	उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना। परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की शास्ति केवल अध्यक्ष द्वारा अधिरोपित की जाएगी।
	10	अपील:	
		(1)	नियम 7 या नियम 9 के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड को की जाएगी यदि आदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया है और यदि आदेश बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया गया है तो उसके विरुद्ध अपील अध्यक्ष को की जाएगी।
		(2)	अपील के साथ जो लिखित रूप में होगी उस आदेश की प्रति संलग्न होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है, और ऐसे आदेश पारित करने के सात दिन के भीतर की जाएगी ।